न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 564 / 2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. प्रकाशचन्द्र पुत्र सोनराज 2. नवरतनमल पुत्र सोनराज 3. राधेश्याम पुत्र सोनराज 4. पिस्ता पुत्री सोनराज सभी जातियान ब्राहमण, निवासी गण– कलाउना तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।		1. नाथीदेवी पत्नी सोहनलाल के कायम मुकामः– 1.1 बुद्वाराम पुत्र सोहनलाल 1.2 सुरेश पुत्र सोहनलाल सभी जाति इन्दोरिया ब्राहम्ण , निवासी – मकान सं0 156, प्रताप नगर द्वितीय, देवली अरब रोड़, बोरखेडा, कोटा। 1.3 शारदा पुत्री सोहनलाल इन्दोरिया पत्नी सोहनलाल जाति व्यास, निवासी – टेवाली वाया सोमेसर जिला पाली। 2. चैनाराम पुत्र मांगीलाल, जाति गुर्जर, निवासी – ग्राम रास, तहसील जैतारण , जिला पाली । 3. गिरधारीसिंह पुत्र नारायण सिंह के कायम मुकामः– 3/1 मोहनकंवर पत्नी गिरधारीसिंह 3/2 जितेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारी सिंह 3/3 भवानीसिंह पुत्र गिरधारीसिंह 3/4 शक्तिसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपूत , निवासी–ग्राम राबड़ियावास , तहसील जैतारण, जिला पाली। 4. अमित पुत्र आवड़दान, जाति चारण, निवासी –ग्राम प्रतापपुरा, तहसील जैतारण, जिला पाली। 5. ग्राम पंचायत कालाउना, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना, पंचायत समिति बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध ग्राम पंचायत कालाउना के द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2099 दिनांक 21.11.2014 के विरूद्ध पेश की।

उपस्थितिः–

1– श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से ।

2– श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की ओर से।

3– रेस्पो0 संख्या 5 बावजूद तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांकः 24 जुलाई, 2023

प्रस्तुत अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस् के पिता सोनराज उर्फ सोहनलाल के द्वारा खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालाउना तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर में अ,ब,स तीन कृषि भूमि स्थित है जिसमें जावता वल्द पाबूदान का 1/4 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 1 से 11 का 1/4 रेस्पो0 संख्या 12 से 13 का 1/4 रेस्पो0 संख्या 14 से 16 का 1/4

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

हक हिस्सा वक्त सेटलमेंट से पक्षकारान् के पूर्वजों का दर्ज था। इसी प्रकार सम्पति सं0 ''ब'' में जावता वल्द पाबूदान का 1/4 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का 1/4 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 12 व 13 का 1/4 हिस्सा तथा सम्पति सं0 ''स'' में जावता वल्द पाबूदान का 1/2 हिस्सा एवं रेस्पो0 संख्या 12 व 13 का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलांटस के पिता ने वाद पत्र में उल्लेख किया कि जावताराम पुत्र पाबूदान के कोई जायंदा पुत्र नहीं होने के कारण प्रार्थीगाण के पिता को सम्वत् 2033 जेठबद्व सातम को रीति रिवाज के अनुसार गोद लिया एवं गोदनामा की लिखत लिखी उसके पश्चात् अपीलांटस् के पिता अपने गोद पिता जावताराम के साथ ही गोद पुत्र की हैसियत से रहना शुरू कर दिया। अपीलांटस् के पिता ने गोदनामा की प्रति प्रस्तुत की। इसके पश्चात् दिनांक 22.02.1985 को जावताराम ने अपीलांटस् के पिता के पक्ष में उपरोक्त सम्पूर्ण खसरा रकबा की कृषि भूमि का सम्पूर्ण वसीयतनामा अपीलांटस के पिता के पक्ष में कर दिया अपीलांटस् के पिता ने वाद पत्र के साथ वसीयत की नकल प्रस्तुत की जावताराम का देहांत सन् 1986 को हो चुका है। जावताराम की चल अचल सम्पति में अपीलांटस् के पिता का सम्वत 2033 से गोदपुत्र की हैसियत से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उसके पश्चात जावताराम की समस्त चल अचल सम्पति एवं उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में जावताराम के हिस्से की भूमि का हकदार हो गया एवं एकमात्र वारिस की हैसियत से भूमि पर काबिज हो गये। जावताराम के एकमात्र जांयदा पुत्री रेस्पो0 संख्या 17 श्रीमति नाथी हुयी थी जिसका विवाह ग्राम बलाड़ तहसील जैतारण, जिला पाली में सोनराज ब्राहम्ण (इन्दोरिया) के साथ करीब 50—55 वर्ष पूर्व हुआ था।श्रीमति नाथी अपनी शादी के बाद ससुराल में निवास करना शुरू कर दिया। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 संख्या 17 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। अपीलांटस के पिता ने वाद पत्र के अंत में निवेदन किया कि वाद पत्र के पद सं0 2 में वर्णित कृषि भूमि अ,ब,स में जावताराम की जगह अपीलांट्स के पिता को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 17 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वादी के हिस्से से बेदखल नहीं करें न ही कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी करे न ही किसी अन्य से करावे।

रेस्पो0 संख्या 17 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। वाद के विचारधीन रहते हुए अपीलांट्स के पिता का देहांत हो जाने के कारण अपीलांट्स को वाद में बतौर वादीगण प्रतिस्थापित किया गया। तत्पश्चात पक्षकारान् के साक्ष्य सबूत पेश होने के पश्चात् वादी का वाद दिनांक 19.05.2014 को निरस्त कर दिया एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में ''वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ट्स का प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया गया। तहसीलदार बिलाड़ा को यह भी निर्देश दिया गया कि राजस्थान टीनेंसी एक्ट नियमों के प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव बनाकर भिजवायें।'' हल्का पटवारी कलाउना एवं भू—अभिलेख निरीक्षक वृत पिचियाक द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा का नक्शा बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय हाजा ने प्रस्तावित बंटवाड़ा का नक्शा बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय हाजा ने प्रस्तावित बंटवाडा पर सुनवाई किये बिना ही अपीलाधीन आदेश अंतिम डिक्री दिनांक 02.06.2012

आयुक्त

को पारित कर दी। अपीलांट्स की ओर से सहायक जिलाधीश बिलाडा के निर्णय डिक्री दिनांक 19.05.2014 के विरूद्ध दिनांक 27.05.2014 को अपील प्रस्तुत की एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 02.06.2012 के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील आधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपील के विचाराधीन रहते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 2039 दिनांक 5.6.2014 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी सं0 1 ने न्यायालय में अपील के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात का कागजी बेचान दस्तावेज रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से निष्पादित किया गया। जबकि वादग्रस्त आराजीयत पर रेस्पो0 संख्या 1 नाथी का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण बेचान दस्तावेज के आधार पर कब्जा हस्तान्तरण नहीं हुआ फिर भी ग्राम पंचायत कालाउना द्वारा दिनांक 21.11.2014 को अपीलाधीन नागान्तकरण सं. 2099 स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील के विलम्ब से प्रस्तुत करने बाबत यह कथन किया कि अपीलान्ट प्रकाशचन्द ने गांव में चर्चा सुनी कि केतागण चैनाराम के पक्ष में नामा0 हो चुका है तब अपीलान्ट द्वारा आलौच्य आदेश की जानकारी हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया कि उनके द्वारा बताया गया कि नामा0 हो चुका है तब उनके द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 2099 की प्रमाणित प्रति दिनांक 8.1.2015 को प्राप्त करते हुए यह अपील पेश की गई है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को सदभाविक विलम्ब मानते हुए अपील को अन्दर म्याद मानते हुए गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है तथा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन नामान्तकरण पारित करने से पूर्व तहसीलदार बिलाड़ा ने विधि विरूद्ध अपीलांट ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो विचाराधीन रहते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं0 2 से 4 के पक्ष में विधि तरीके से अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार कर दिया। अपीलाधीन नामान्तकरण पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवायी का अवसर तक नहीं दिया गया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि प्रभावित पक्षकार को ऐसा आदेश पारित करने से पूर्व सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलान्ट अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि 01 का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण बेचान दस्तावेज के आधार पर कब्जा हस्तान्तरण ही नहीं हुआ। इसलिये कब्जे के अभाव में एवं कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की जॉच बिना अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण काबिले खारिज है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की उक्त अपील को अपने आदेश दिनांक 18.11.2019 को

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

स्वीकार करते हुए सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 19.5.2014 एवं दिनांक 02.06.2014 को निरस्त कर दिया गया है। नामा0 संख्या 2039 दिनांक 5.6.2014 विचारण न्यायालय के निर्णय डिक्री की पालना में स्वीकृत किया गया था ऐसे में पारित डिक्री व निर्णय अब प्रभाव में नहीं है, इस कारण से नामा0 संख्या 2039 दिनांक 5.6.2014 प्रभावहीन हो चुका है तथा नामा0 संख्या 2099 दिनांक 21.11.2014 भी प्रभावहीन हो चुका है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 2099 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि ग्राम कालाउना में कुल 97.10 बीघा भूमि आई हुई है। अन्ना, जावंता पिता पाबूदान खातेदार थे। अन्ना का पुत्र सोनराज है और सोनराज अपने को जावंता के गोद जाना बता रहा है। रेस्पोडेन्ट नाथीदेवी जावंता की उत्तराधिकारी होने का दावा सहायक कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार किया गया। तत्पश्चात उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील हुई तथा स्थगन आदेश को वेकेट किया गया। उक्त अपील के विचाराधीन रहते हुए नाथीदेवी के द्वारा गिरधारीसिंह, अमित वगैराह व्यक्तियों को भूमि का बेचान कर दिया गया। श्री गिरधारीसिंह की दौरान सुनवाई मृत्यु हो जाने से उनके उत्तराधिकारियान को रेकर्ड पर नहीं लिया गया था। ऐसे में अपीलान्ट की अपील जरिये एबेटमेन्ट खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि हम पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के समक्ष धारा 144 का प्रार्थना पत्र लम्बित चल रहा है। इसके अतिरिक्त सोनराज ने अपने को जावंता का गोदपुत्र बता रहा है। श्रीमती नाथी के द्वारा किये गये बेचान के फलस्वरूप बेचान दस्तावेज के आधार पर अपीलाधीन नामा0 संख्या 2099 वर्ष 2014 में स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त नामा0 संख्या 2039 जो कि सहायक कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित डिक्री निर्णय के अनुसरण में स्वीकृत किया गया था जिसकी चाराजोही हेतु सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, राजस्व मण्डल अजमेर में की गई है। ऐसे में तत्समय में स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 2039 एवं नामा0 संख्या 2099 में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई है जिन्हें अपीलान्टस की इस अपील के आधार पर निरस्त किया जा सके।

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष विलम्ब से पेश की गई है जिसे अन्दर म्याद शुमार करने हेतु कोई ठोस कारण नहीं दर्शाया है। अतः अपीलान्ट अपील अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अपीलान्टस के कथनानुसार नामा0 संख्या 2039 दिनांक 5.6.2014 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2014 व दिनांक 2.6.2014 की पालना में भरा गया, जिसकी निरन्तरता में

रिक्त सम्भागीय आयुक्त

नामान्तरकरण संख्या 2099 भरा जाना प्रतिवेदित किया है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2014 व 2.6.2014 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 18.11.2019 को निर्णित किये जा चुके है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जब नामान्तरकरण का मूल कारण/ हेतुक सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त/सारविहिन निर्णित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में नामान्तरकरण संख्या 2039 दिनांक 5.6.2014 व नामान्तरकरण संख्या 2099 दिनांक 21.11.2014 का विधिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 2099 दिनांक 21.11.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ० पी० बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर